चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 18.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 18.02.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को शांति एवं स्वच्छतापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद में चल रही उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज बरवारा ,जय राम राही इंटर कॉलेज कर्वी, सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज सीतापुर, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय सीतापुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीसीटीवी कन्ट्रोल रुम का निरीक्षण किया गया तथा परीक्षा डियूटी में लगे पुलिस एवं प्रसाशनिक अधिकारी/कर्मचारीगण को सतर्कत रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनाँक 18.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा जनपद में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को शांति एवं स्वच्छतापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद में चल रही उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कालेज कर्वी, गंगा प्रसाद जनसेवा इण्टर कालेज कर्वी, जयराम राही इण्टर कालेज कर्वी, कृषक इण्टर कालेज भौंरी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीसीटीवी कन्ट्रोल रुम का निरीक्षण किया गया तथा परीक्षा डियूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण को सतर्कत रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0नं0 62/07 धारा 379 भदवि0 व 26 वन अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जगलाल पुत्र रामजियावन केवट निवासी ग्राम घुरेहटा मजरा कोटरा खम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री गंगाचारण प्रजापति थाना मऊ
2. आरक्षी राहुल पांडेय

(6). दिनांक 17.02.24 को जनपद चित्रकूट में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय सेन्टर पर द्वितीय पाली में संदीप कुमार पुत्र रामधनी यादव निवासी ठाकुर का पुरवा मुतर्जापुर तहसील कुण्डा थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ के स्थान पर अजय कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी तुलापुर मुकुंदपुर तहसील सोरांव थाना होलागढ़ जिला प्रयागराज परीक्षा दे रहा था। पूंछतांछ में अजय कुमार ने बताया कि एक डी0पी0 नाम के व्यक्ति के माध्यम से 05 लाख रूपये में परीक्षा पास कराये जाने की हमारी डील हुई थी। इसी तरह गंगाप्रसाद जनसेवा इण्टर कॉलेज चित्रकूट में प्रथम पाली में आकाश शर्मा पुत्र श्रीनाथ शर्मा निवासी रामगढ़ विकरा थाना देवसरा जिला प्रतापगढ के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र अमरिक प्रसाद निवासी चण्डी थाना चण्डी जिला नालंदा बिहार परीक्षा दे रहा था जिसमें वेद नाम का एक लड़का माध्यम था।

दोनो पालियों में परीक्षा दे रहे फर्जी अभ्यर्थी को तथा द्वितीय पाली में परीक्षा दे रहे मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों प्रकरणों में कोतवाली कर्वी में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. अजय कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी तुलापुर मुकुंदपुर तहसील सोरांव थाना होलागढ़ जिला प्रयागराज।
2. संदीप कुमार पुत्र रामधनी यादव निवासी ठाकुर का पुरवा मुतर्जापुर तहसील कुण्डा थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़।
3. राकेश कुमार पुत्र अमरिक प्रसाद निवासी चण्डी थाना चण्डी जिला नालंदा बिहार।

(7). आज दिनांक 18.02.24 को जनपद चित्रकूट में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में पालेश्वरनाथ इण्टर कालेज पहाड़ी सेन्टर पर *प्रथम पाली* में *अनुज कुमार पुत्र मुन्नीलाल* निवासी तरौल नारायणपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ के स्थान पर *रितेश पुत्र सुनील यादव निवासी माधवपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना, (बिहार)* परीक्षा दे रहा था। फर्जी अभ्यर्थी रितेश का फेस स्कैनिंग में आशंका होने पर परीक्षा समाप्ति के बाद रितेश उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूंछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। तलाशी में उसके पास से फर्जी पहचान - पत्र प्राप्त हुआ।

रितेश के कथन एवं शिनाख्त के आधार पर परीक्षा केन्द्र के बाहर इस घटना के षडयंत्र में शामिल *करन कुमार पुत्र कुशेश्वर लाल निवासी नयाटोला माधवपुर थाना बख्तियार जनपद पटना, बिहार* को भी पकड़ लिया गया जिसके पास से भी फर्जी पहचान-पत्र बरामद हुआ।

बाद पूंछताछ इन सभी के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 26/2024 धारा 419/420/467/468/471/120(बी) भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 परीक्षा अधिनियम पंजीकृत कर लिया गया है। मूल अभ्यर्थी अनुज कुमार उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. रितेश कुमार पुत्र सुनील यादव निवासी माधवपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना, बिहार।

2. करन कुमार पुत्र कुशेश्वर लाल निवासी नयाटोला माधवपुर थाना बख्तियार जनपद पटना, बिहार।

<u>बरामदगी:-</u>

1. फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश - पत्र व अन्य कागजात